ARYAVART SHODH VIKAS PATRIKA
RNI TITLED NO. UPBBIL04292
RNI REG. NO. UPBBIL/2014/66218 PP. NO.- 142-148
ISSN NO.-2347-2944
Vol.-9, No.-II, Issues-10 YEAR- Dec -2018

भारतीय समाज में लैंगिक समानता के मुद्दे एवं चुनौतियों का अध्ययन

डॉ0 हेमन्त कुमार सिंह
एसो0प्रो0– समाजशास्त्र जवाहरलाल नेहरू मेमो0 पी0जी0 कालेज, बाराबंकी (उ0प्र0), भारत

Received- 20.11.2018, Revised- 23.11.2018, Accepted - 26.12.2018 E-mail: drreenasinghhindi@gmail.com

सारांश : ***'विभिन्न शोधों में महिलाओं के प्रति असमानता के व्यवहार, सार्वजनिक जीवन में उनकी सीमित भागीदारी, समाज में विद्यमान पितृसत्तात्मक व्यवस्था के संदर्भ में विवेचित किया गया है। वैधानिक दृष्टि से महिलाओं को समाज में समानता के अधिकार प्राप्त है, किन्तु व्यवहारिक दृष्टि से उनके साथ असमानता का व्यवहार किया जाता है। समाज में अभी भी व्यवहारिक रूप से महिलाओं को पुरूषों के समान नहीं समझा जाता। पितृसत्तात्मक समाज में स्त्री – पुरूष संबंधों में सबल व्यक्तित्व वाला व्यक्ति ही प्रभावशाली स्थिति प्राप्त करता है। सामान्य रूप से समाज में पुरूषों को महिलाओं पर अधिकारिक आज्ञा देने का अधिकार प्रदत्त है। भारतीय संस्कृति में प्रारंभ से ही पुरूषों की तुलना में समाज एवं परिवार में महिलाओं की स्थिति निम्न रही है। प्रस्तुत शोध में महिलाओं की राजनीतिक जागरूकता तथा सशक्तीकरण का विश्लेषण करने पर पाया गया कि महिलाएँ राजनीति को पुरूष प्रधान क्षेत्र मानती है तथा स्वयं उनका राजनीति में प्रवेश आरक्षण के कारण है।***

कुंजीभूत शब्द–असमानता, व्यवहार, सार्वजनिक, जीवन, भागीदारी, पितृसत्तात्मक, व्यवस्था, विवेचित ।

वर्तमानसमय में देश व समाज के विकास के लिए बालिकाओं को समाज में एक मजबूत और निडर किरदार मिलना चाहिए। लेकिन यह तभी मुमकिन हो सकता है जब पूरे समाज इसके लिए दृढ़ संकल्प ले तथा बालिकाओं की शिक्षा की उचितव्यवस्था हो जिसमें किसी प्रकार का लैंगिक भेदभाव ना हो। हम आये दिन येसुनते हैं कि महिलाओं पर दिन प्रतिदिन अत्याचार बढ़ते जा रहे हैं। नारी शक्तिऔर महिला सशक्तिकरण की मुहीम बस एक मुहिम बनकर रह गयी है। लेकिन अब वक्त आ गया है कि हमें बालिकाओं के सामाजिक, आर्थिक विकास कीओर ध्यान देना होगा। हमें बालिकाओं व महिलाओं के फैसले और ईच्छाओं काआदर करना चाहिए, बालिकाओं व महिलाओं के खिलाफ हो रहे अत्याचारों केखिलाफ अपनी आवाज को बुलन्द करना चाहिए। बालिकाओं व महिलाओं के हककी अवहेलना करने से अब काम नहीं चलने वाला है उन्हें पुरूषों के बराबरलाना होगा तभी देश का विकास संभव है और ये सब तभी हो सकता है जब बालिकाओं की शिक्षा बालकों के समान सुनिश्चित हो, समाज के विचारों मेंबालक–बालिका में कोई भेद ना हो तथा नैतिक मूल्यों का उत्थान हो। हमारे देशकी सरकार भी लड़कियों को लड़को के बराबर लाने के लिय काफी कदम उठायेहैं। सरकार ने लड़कियों के विकास के लिए हर क्षेत्र में लड़कियों को सुविधा देनेका प्रयास किया है। विद्यालय से लेकर नौकरी, बीमा, जमीन या व्यापार मेंलड़कियों के लिए विशेष प्रावधान देकर लड़कियों के विकास के हरसंभव प्रयत्नकिये हैं। लेकिन जब तक नैतिक मूल्यों का विकास नहीं होगा तब तक लड़कियोंके प्रति समाज की सोच में बदलाव कठिन है। अतः बालिकाओं के विकास केलिए राष्ट्रीय स्तर पर नैतिक मूल्यों का विकास होना जरूरी है जिससे समाज कीबालिकाओं के विकास के प्रति सोच सकारात्मक हो सके।

आज के युग में लड़का और लड़की में कोई अन्तर नहीं है। दोनों ही एकदूसरे से प्रतिस्पर्धा करने में सक्षम है। इतिहास से लेकर आज तक लड़कियों नेकई क्षेत्रों में सफलता हासिल की है। लड़कियों की कर्मशीलता ही उनके सक्षम होने का सबूत है। आज लड़कियां समाज की शान है इस अवधारणा को समाजके प्रत्येक व्यक्ति के मानस में बैठाना आवश्यक है और यह कार्य तभी सफल होगा जब नैतिक मूल्यों का विकास होगा तथा बालिकाओं की शिक्षा की सम्पूर्ण व्यवस्था सुनिश्चत होगी।

समाज को राष्ट्र की एक महत्वपूर्ण इकाई के रूप में हम देखते हैं। हम 21वीं सदी में भारतीय होने का गर्व करते हैं जो एक बेटा पैदा होने पर खुशी का जश्न मनाते हैं और यदि एक बेटी का जन्म हो जाये तो शान्त हो जाते हैं यहां तक कि कोई भी जश्न नहीं मनाने का नियम बनाया गया है। लड़के के लिए इतना ज्यादा प्यार कि लड़कों के जन्म की चाह में हम प्राचीन काल से ही लड़कियों को जन्म के समय या जन्म से पहले मारते आ रहे हैं, यदि सौभाग्य से वो नहीं मारी जाती है तो हम जीवनभर उनके साथ भेदभाव के अनेक तरीके ढूंढ लेते हैं। हालांकि, हमारे धार्मिक विचार औरत को

ISSN NO.-2347-2944
Vol.-9, No.-II, Issues-10 YEAR- Dec -2018

देवी का स्वरूप मानते है लेकिन हम उसे एक इन्सान के रूप में पहचानने से ही मना कर देते हैं। हम देवी की पूजा करते हैं, पर लड़कियों का शोषण करते हैं। जहां तक कि महिलाओं के सम्बन्ध में हमारे दृष्टिकोण का सवाल है तो हम दोहरे मानको का एक ऐसा समाज है जहां हमारे विचार और उपदेश हमारे कार्यों से अलग है।'

लैंगिक समानता की परिभाषा और संकल्पना– 'लिंग' सामाजिक सांस्कृतिक शब्द है, सामाजिक परिभाषा से सम्बन्धित करते हुए समाज में पुरूषों और महिलाओं के कार्यों और व्यवहारों को परिभाषित करता है, जबकि, 'सेक्स' शब्द आदमी और औरत को परिभाषित करता है। जो एक जैविक और शारीरिक घटना है। अपने सामाजिक, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक पहलुओं में लिंग पुरूष और महिलाओं के बीच शक्ति के कार्य के सम्बन्ध है जहां पुरूष को महिला से श्रेष्ठ माना जाता है। इस तरह 'लिंग' को मानव निर्मित सिद्वान्त समझना चाहिये जबकि 'सेक्स' मानव की प्राकृतिक व जैविक विशेषता है।

लैंगिक असमानता को सामान्य शब्दों में इस तरह परिभाषित किया जा सकता है कि, लैंगिक आधार पर महिलाओं के साथ भेदभाव। समाज में परम्परागत रूप से महिलाओं को कमजोर जाति वर्ग के रूप में माना जाता है। वह पुरूषों की एक अधीनस्थ स्थिती में होती है। वो घर और समाज दोनों में शोषित, अपमानित, अक्रमित और भेदभाव से पीड़ित होती है। महिलाओं के खिलाफ भेदभाव का ये अजीब प्रकार दुनियां में हर जगह प्रचलित है और भारतीय समाज में तो बहुत अधिक है। भारतीय समाज में लैंगिक असमानता का मूल कारण इसकी पितृसत्तात्मक व्यवस्था में निहित है। प्रसिद्ध समाजशास्त्री सिल्विया वाल्वे के अनुसार, "पितृसत्तात्मक सामाजिक संरचना की ऐसी प्रक्रिया और व्यवस्था है, जिसमें आदमी औरत पर अपना प्रभुत्व जमाता है, उसका दमन करता है और उसका शोषण करता है।" महिलाओं का शोषण भातीय समाज की सदियों पुरानी घटना है। पितृसत्तात्मक व्यवस्था ने अपनी वैधता और स्वीकृति हमारे धार्मिक विश्वासों, चाहे वो हिन्दू, मुस्लिम या किसी अन्य धर्म से ही क्यों न हो, से प्राप्त की है। उदाहरण के लिए, प्राचीन भारतीय हिन्दू कानून के निर्माता मनु के अनुसार, "ऐसा माना जाता है कि औरत को अपने बाल्यकाल में पिता के अधीन, शादी के बाद पति के अधीन और अपनी वृद्धावस्था या विधवा होने पर अपने पुत्र के अधीन रहना चाहिए। किसी भी परिस्थितियों में उसे खुद को स्वतंत्र रहने की अनुमति नहीं है।"[2]

मनु द्वारा महिलाओं के लिए वर्णित स्थिति आज के आधुनिक समाज की संरचना में भी मान्य है। यदि यहां वहां के कुछ अपवादों को छोड़ दें तो महिलाओं को घर में या घर के बाहर समाज या दुनियां में स्वतंत्रतापूर्वक निर्णय लेने की कोई शक्ति नहीं है। मुस्लिमों में भी समान स्थिति है और यहां भी भेदभाव या परतंत्रता के लिए मंजूरी धार्मिक ग्रन्थों और इस्लामी परंपराओं द्वारा प्रदान की जाती है। इसी तरह अन्य धार्मिक मान्यताओं में भी महिलाओं के साथ एक ही प्रकार से या अलग तरीके से भेदभाव हो रहा है।

समाज में जिस प्रकार पुरूशों को महत्वपूर्ण माना जाता है वैसे ही वर्तमान सन्दर्भ में नारी का स्थान अद्वितीय है। इसी वजह से प्राचीन काल से आज तक नारी को सम्माननीय दृष्टि से देखा जाता है। समाज में महिलाओं को उचित ओहदा एवं उचित स्थान दिलाने के लिए उन्हें संगठित रूप में, शक्ति के रूप में आज प्रस्तुत किया जाना अत्यन्त आवश्यक है। इसी स्वरूप के अन्तर्गत महिलाओं को आगे बढ़ने के लिए, उनके नैतिक मूल्यों को विकसित करने के लिए, समाज की उन्नति के लिए अनेक प्रयास किये जा रहे हैं। आज महिला समाज के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दे रही है। आज वह घर की चौखट लांघकर 'अर्जिता' बन गयी हैं, वह हर कार्य में दक्ष है। वह पुरूष की सहयोगिनी है। वह कर्मशील है। वह भी पुरूष के समान हर क्षेत्र में अपनी सेवाएं प्रदान कर रहीं है। प्रायः देखा गया है कि विभिन्न संस्थाओं में कार्यरत महिलाएँ अपने दायित्वों का निर्वाह अच्छी प्रकार से करती हैं। इन महिलाओं में अत्याचार के खिलाफ लड़ने की हिम्मत बनी रहती है। डा अम्बेडकर ने अपने उदगार इन शब्दों में व्यक्त किये थे – "भारतीय नारी श्रम से नहीं घबराती किन्तु अपमान की चिन्ता करते हुएए वह रोती है"। वह असमान व्यवहार तथा शोषण से डरती है।"[3]

वे इन सब का भली भांति विरोध करके अपने कार्यों को सुचारू रूप से संचालित करती है। महिलाओं की सहभागिता हमें हर काल, देश तथा क्षेत्र में देखने को मिलती है। इस सन्दर्भ में युगनायक एवं राष्ट्रनिर्माता स्वामी विवेकानन्द कहते हैं कि "किसी भी राष्ट्र की प्रगति का सर्वोत्तम थर्मामीटर है, वहाँ की महिलाओं की स्थिति।"हमें नारियों को ऐसी स्थिति में पहुँचा देना चाहिए, जहाँ वे अपनी समस्याओं को अपने ढ़ंग से स्वयं सुलझा सकें। हमें नारी शक्ति के उद्धारक नहीं, वरन् उनके सेवक और सहायक बनना चाहिए। अतः यह तो निश्चित है कि विभिन्न प्रयासों के माध्यम से इस क्षेत्र में अत्यन्त सुधार हुआ है और हो रहा है। ग्राम स्तर से लेकर विश्व स्तर तक आज बालिकाओं में नैतिक मूल्यों के विकास, समानता के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण प्रदान करने की महती आवश्यकता है। बालिकाओं से सम्बन्धित एवं उनके व्यक्तित्व के विकास से सम्बन्धित विभिन्न क्षेत्रों में आज अनुसंधान की आवश्यकता है।

प्रस्तुत अध्ययन के में ऐतिहासिक रूप से विभिन्न

कालों में महिला प्रस्थिति की विवेचना से स्पष्ट है कि समाज में महिला की स्थिति पुरूषों से निम्न रही है। स्वतंत्र भारत के संविधान में महिलाओं को वैधानिक दृष्टि से राजनीतिक अधिकार प्रदान किए गए है, परन्तु समाज व्यवस्था उन्हें राजनीति से दूर रखती है, क्योंकि समाज पितृसत्तात्मक है तथा शक्ति संरचना पर पुरूशों का वर्चस्व है। गर्डा लर्नर के अनुसार पितृसत्ता, परिवार में महिलाओं और बच्चों पर पुरूषों के वर्चस्व की अभिव्यक्ति और संस्थागतकरण तथा सामान्य रूप से महिलाओं पर पुरूषों के सामाजिक वर्चस्व का विस्तार है। पितृसत्ता में महिलाओं के जीवन के सभी पक्षों पर पुरूषों का नियंत्रण रहता है जैसेः प्रजनन क्षमता, महिलाओं की श्रम शक्ति पर नियंत्रण, महिलाओं पर हिंसा का प्रयोग आदि। कमला भसीन के अनुसार पितृसत्तात्मक व्यवस्था में महिलाओं के विरूद्ध हिंसा का प्रयोग अत्यधिक ही नहीं, वरन् व्यस्थित रूप से होता है। इनके अनुसार महिलाओं के ऊपर पुरूषों के नियंत्रण को आधिपत्य के साथ प्रभुत्व के रूप में वर्णित किया जा सकता है। आधिपत्य से तात्पर्य शासक वर्ग के हितों को सार्वभौमिक हित के रूप में प्रस्तुत करने से है। पितृसत्तात्मकता सहमति का निर्माण कर अपना प्रभुत्व जमाती है।[5]

गर्डा लर्नर के अनुसार महिलाएँ पितृसत्ता की व्यवस्था को सदियों तक अक्षुण्य बनाए रखने में सहयोग भी करती है तथा सहायक भी होती है। इनके अनुसार सहयोग को सहमति के रूप में कई तरीकों से प्राप्त किया जा सकता है जैसेः उत्पादन संसाधनों तक पहुँच न होना, पुरूष मुखिया पर महिलाओं की आर्थिक आत्मनिर्भरता, समाज के रीति–रिवाज, परिवार में पुरूष श्रेष्ठता आदि। यदि महिलाएँ पितृसत्ता के कानून या नियमों को अपना सहयोग या सहमति नहीं देती है तो उन्हें पथभ्रष्ट करार दिया जाता है। उमा चक्रवर्ती के अनुसार जो महिलाएँ पितृसत्ता को सहयोग प्रदान करती है, उन्हें कुछ विशेष अधिकार और सुविधाएँ प्रदान कर समाज में सम्मान प्रदान किया जाता है। चक्रवर्ती के अनुसार ब्रह्मणवादी पितृसत्ता के सांस्कृतिक मॉडल में मायथोलोजी के द्वारा महिलाओं का इस तरह समाजीकरण किया गया कि वह अपने सबलीकरण के लिए अपनी शुचिता और कर्त्तव्यपरायणता में विश्वास करने लगे। ब्राह्मणवादी पितृसत्ता के ढ़ांचे, पैतृकवादी विचारधारा, पितृसत्ता में परम्परागत असमानताओं को आज हमारे देश के संविधान में उल्लेखित जनतांत्रिक व समतावादी विचारधारा के कारण कम करने का प्रयास किया जा रहा है, ताकि महिलाओं को सशक्त कर समाज में समानता का दर्जा प्रदान किया जा सके।

लैंगिक समानता की चुनौतियाँ– भारत में श्रम शक्ति में महिलाओं का प्रतिनिधित्व 38 प्रतिशत है, जबकि 2014में यह आंकड़ा 40 प्रतिशत था। भारत में महिलाओं द्वारा किया जाने वाला आधे से अधिक श्रम अवैतनिक है और लगभग पूरा श्रम अनौपचारिक और असुरक्षित है। अधिकतर क्षेत्रों में महिलाओं को उचित प्रतिनिधित्व नहीं मिलता, जिसमें व्यापार जगत के शीर्ष पद भी शामिल हैं। हालांकि महिलाएं खेती से जुड़े 40 प्रतिशत कार्य करती हैं, भारत में केवल 9 प्रतिशत भूमि पर उनका नियंत्रण है। महिलाएं औपचारिक वित्तीय प्रणाली से भी बाहर हैं। भारत की लगभग आधी महिलाओं का कोई बैंक या बचत खाता नहीं है, जिसे वे खुद नियंत्रित करती हैं और 60प्रतिशत महिलाओं के नाम पर कोई मूल्यवान परिसंपत्ति नहीं है। हैरत नहीं है कि देश की जीडीपी में महिलाओं की हिस्सेदारी केवल 17 प्रतिशत है जबकि उनका विश्व औसत 37 प्रतिशत है। इसके अतिरिक्त महिलाएं शारीरिक रूप से अधिक असुरक्षित हैं। भारत में महिलाओं के खिलाफ अपराध की दर 54 प्रतिशत है। राजधानी दिल्ली में 92 प्रतिशत महिलाओं का कहना है कि उन्हें सार्वजनिक स्थानों पर यौन या शारीरिक हिंसा का सामना किया है।

भारतीय संविधान और लिंग समानता[7]

लिंग असमानता को दूर करने के लिए भारतीय संविधान ने अनेक सकारात्मक कदम उठाये हैं संविधान की प्रस्तावना हर किसी के लिए सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय प्राप्त करने के लक्ष्यों के साथ ही अपने सभी नागरिकों के लिए स्तर की समानता और अवसर प्रदान करने के बारे में बात करती है। इसी क्रम में महिलाओं को भी वोट देने का अधिकार प्राप्त है। संविधान के अनुच्छेद 15 भी लिंग, धर्म, जाति और जन्म स्थान पर अलग होने के आधार पर किये जाने वाले सभी भेदभावों को निषेध करता है। अनुच्छेद 15(3) किसी भी राज्य को बच्चों और महिलाओं के लिए विशेष प्रावधान बनाने के लिए अधिकारित करता है। इसके अलावा, राज्य के नीति निदेशक तत्व भी ऐसे बहुत से प्रावधानों को प्रदान करते है जो महिलाओं की सुरक्षा और भेदभाव से रक्षा करने में मदद करते है। इन संवैधानिक सुरक्षा उपायों के अलावा, विभिन्न सुरक्षात्मक विधान भी महिलाओं के शोषण को खत्म करने और समाज में उन्हें बराबरी का दर्जा देने के लिए संसद द्वारा पारित किये गये है। उदाहरण के लिये, सती प्रथा उन्मूलन अधिनियम 1987 के अन्तर्गत सती प्रथा को समाप्त करने के साथ ही इस अमानवीयकृत कार्य को दंडनीय अपराध बनाया गया। दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961, दहेज की प्रथा को खत्म करने के लिए, विशेष विवाह अधिनियम, 1954 अंतर्जातीय या अंतर–धर्म से शादी करने वाले विवाहित जोड़ों के विवाह को सही दर्जा देने के लिए, प्रसव पूर्व निदान तकनीक (विनियमन और दुरूपयोग निवारण) विधेयक (कन्या भ्रूण हत्या और कई और इस तरह के कृत्यों को रोकने के लिए 1991 में संसद में पेश किया गया, 1994 में पारित किया गया

है।) इसके अलावा संसद समय समय पर समाज की बदलती हुई परिस्थितियों के अनुसार लागू नियमों में महिलाओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए बहुत से सुधार करती रहती है, उदाहरण के लिए, भारतीय दंड संहिता 1860 में धारा 304–बी. को दहेज केस दुल्हन की मृत्यु या दुल्हन को जलाकर मार देने के कुकृत्य को विशेष अपराध बनाकर आजीवन कारावास का दंड देने का प्रावधान किया गया है।

लैंगिक समानता के मुद्दे

1. संवैधानिक मुद्दे– भारत में महिलाओं के लिए बहुत से संवैधानिक सुरक्षात्मक उपाय बनाये हैं पर जमीनी हकीकत इससे बहुत अलग है। इन सभी प्रावधानों के बावजूद देश में महिलाओं के साथ आज भी द्वितीय श्रेणी के नागरिक के रूप में व्यवहार किया जाता है, पुरूष उन्हें कामुक इच्छाओं की पूर्ति करने का माध्यम मानते हैं, महिलाओं के साथ अत्याचार अपने खतरनाक स्तर पर है, दहेज प्रथा आज भी प्रचलन में है।

74वें संविधान संषोधन के माध्यम से नगरीय स्थानीय स्वशासन में महिलाओं को आरक्षण प्रदान किया गया। आरक्षण की मूल भावना समाज के कमजोर व षोशित वर्ग को संरक्षणात्मक अवसर प्रदान करना है। राजनीति में महिलाओं को आरक्षण प्रदान कर उन्हें निर्णय प्रक्रिया का हिस्सा बनाया गया है। महिलाओं को आरक्षण प्रदान करने से महिलाओं की राजनीतिक सहभागिता में वृद्धि सकारात्मक रूप से हुई। भारत में आरक्षण की व्यवस्था ने महिलाओं को आरक्षण प्रदान कर समाज में व्याप्त असमानता को समाप्त करने का प्रयास किया, लेकिन समाज में दूशित राजनीतिक माहौल महिलाओं के राजनीतिक सहभागिता के मार्ग में बाधा उत्पन्न करता है। क्योंकि कभी – कभी राजनीति में महिलाओं के साथ षारीरिक हिंसा की घटनाएँ भी घटित होती है।[8]

2. राजनीतिक मुद्दे– मेरी जोन के अनुसार पितृसत्तात्मक समाजों में महिलाओं का कार्यक्षेत्र निजी क्षेत्र ही रहता है। सार्वजनिक क्षेत्र में शक्ति का उपयोग पुरूशों द्वारा ही किया जाता है, अगर कुछ महिलाएँ राजनीतिक क्षेत्र में सशक्त भूमिका निभाना भी चाहती है तो राजनीतिक दल के सदस्य व समाज उनके कार्य में बाधा उत्पन्न करते है।

3. आर्थिक मुद्दे– भारतीय महिला आज भी आर्थिक रूप से पुरूष के प्रभुत्व से मुक्त नहीं है। मार्क्सवादी नारीवाद के अनुसार स्त्री पराधीनता निजी सम्पत्ति के उदय तथा उत्पादन के साधनों के स्वामित्व का प्रतिफल है। पितृसत्तात्मक समाज में उत्पादन के साधनों पर पुरूषों का वर्चस्व रहता है। समाज में महिलाओं के कार्य का उपयोग मूल्य तो होता है, परन्तु आदान–प्रदान मूल्य नहीं होता। समाज में महिलाओं की पुरूषों पर आर्थिक रूप से निर्भरता असमानता व शोषण का मूल कारण है। भारतीय महिला आज भी आर्थिक रूप से पुरूषों के प्रभुत्व से मुक्त नहीं है।

4. सामाजिक, नैतिक तथा मनोवैज्ञानिक मुद्दे– सामाजिक, नैतिक तथा मनोवैज्ञानिक रूप से समाज में लैंगिक असमानता मौजूद है। आज भी महिलाएँ अपनी परम्परागत भूमिका के घेरे से बाहर नहीं निकल पाई है। इसके पीछे मुख्य कारण महिलाओं की सोच पर सामाजिक मापदंड व समाज में स्वीकृत उनकी भूमिका का प्रभाव है। प्रस्तुत अध्ययन में राजनीतिक विषयों पर जानकारी के सम्बन्ध में मीडिया के प्रभाव को विष्लेशित करने पर पाया गया कि अधिकांष महिलाएँ मनोरंजनात्मक कार्यक्रम ही देखती है तथा महिलाएँ राजनीतिक विशयों से संबंधित पत्रिकाओं का अध्ययन बहुत कम करती है। हमारे समाज में महिलाओं के राजनीतिक समाजीकरण पर भी ध्यान नहीं दिया जाता। उनकी बचपन से ही रूचि उनकी पारम्परिक भूमिका का निर्वहन करने में ही विकसित की जाती है, न कि राजनीतिक क्षेत्र में। राजनीतिक सामाजीकरण सीख की एक प्रक्रिया है, जिसमें व्यक्तियों को राजनीति में दीक्षित करते हुए राजनीतिक विशयों के बारे में उनके विचारों का निर्माण किया जाता है। परन्तु पितृसत्तात्मक समाजों में महिलाओं को निजी क्षेत्र अर्थात् गृहकार्य में ही पारंगत करने की सीख दी जाती है।9 प्रत्येक क्षेत्र में महिलाओं को समानता का दर्जा दिया जाना राश्ट्रीय प्रगति एवं विकास से सम्बद्ध है। लिंग सम्बंधी विकास सूचकांक और लिंग समानता बढ़ाने के उपाए 1995 की मानव विकास रिपोर्ट में सुझाए गए थे। इनके अनुसार राजनीतिक क्षेत्र में निर्णय करने की प्रक्रिया में महिलाओं को समुचित भागीदार बनाया जाए, ताकि वे समूचे समाज के एकीकृत विकास में योगदान दे सके। भारत में भी 21 नवंबर 1995 को महिलाओं के बारे में राश्ट्रीय नीति का प्रारंभिक प्रारूप जारी किया गया, जिसमें निम्न उपाए सुझाए गए:

1. महिलाओं की राजनीतिक निर्णय की प्रक्रिया में साझेदारी सुनिष्चित करने हेतु उचित कदम उठाए जांए।
2. महिलाओं को उत्पादन स्त्रोतों, षिक्षा, स्वास्थ्य, संपत्ति, सूचना एवं प्रौद्योगिकी में बराबरी का अधिकार दिया जाए।
3. यथार्थ में ऐसा वातावरण स्थापित किया जाए, जिसमें महिला व पुरूश समानता से रह सकें।
4. महिलाओं एवं बालिकाओं के साथ होने वाले भेदभाव को समाप्त किया जाए।
5. महिलाओं के उत्थान के लिए समुचित मशीनरी विकसित की जाए।
6. लिंग आधारित जनगणना का विष्लेशण कर तदनुसार ऐसी नीति अपनाई जाए जिससे समाज में वे कमियाँ दूर की जा सके, जिनसे यह अंतर समाप्त हो।

ISSN NO.-2347-2944
Vol.-9, No.-II, Issues-10 YEAR- Dec -2018

निष्कर्ष– महिला किसी भी समाज का वह हिस्सा है जिनके बिना समाज का बढ़ना और गढ़ना दोनों अधूरा रह जाता है। हमारे देश में हमने ये तो देखा और सुना ही है कि वह लड़कियां ही है जिन पर जुर्म का नाच नचाया जाता है। वर्तमान समय में देश व समाज के विकास के लिए बालिकाओं को समाज में एक मजबूज और निडर किरदार मिलना चाहिए। लेकिन यह तभी मुमकिन हो सकता है जब पुरे समाज इसके लिए दृढ़ संकल्प ले तथा बालिकाओं की शिक्षा की उचित व्यवस्था हो जिसमें किसी प्रकार का लैंगिक भेदभाव ना हो। हम आये दिन ये सुनते हैं कि महिलाओं पर दिन प्रतिदिन अत्याचार बढ़ते जा रहे हैं। नारी शक्ति और महिला सशक्तिकरण की मुहीम बस एक मुहिम बनकर रह गयी है। लेकिन अब वक्त आ गया है कि हमें बालिकाओं के सामाजिक, आर्थिक विकास की ओर ध्यान देना होगा। हमें बालिकाओं व महिलाओं के फैसले और इच्छाओं का आदर करना चाहिए, बालिकाओं व महिलाओं के खिलाफ हो रहे अत्याचारों के खिलाफ अपनी आवाज को बुलन्द करना चाहिए। बालिकाओं व महिलाओं के हक की अवहेलना करने से अब काम नहीं चलने वाला है उन्हें पुरूषों के बराबर लाना होगा तभी देश का विकास संभव है और ये सब तभी हो सकता है जब बालिकाओं की शिक्षा बालकों के समान सुनिश्चित हो, समाज के विचारों में बालक–बालिका में कोई भेद ना हो तथा नैतिक मूल्यों का उत्थान हो। हमारे देश की सरकार भी लड़कियों को लड़को के बराबर लाने के लिय काफी कदम उठाये हैं।10 सरकार ने लड़कियों के विकास के लिए हर क्षेत्र में लड़कियों को सुविधा देने का प्रयास किया है। विद्यालय से लेकर नौकरी, बीमा, जमीन या व्यापार में लड़कियों के लिए विशेष प्रावधान देकर लड़कियों के विकास के हरसंभव प्रयत्न किये हैं। लेकिन जब तक नैतिक मूल्यों का विकास नहीं होगा तब तक लड़कियों के प्रति समाज की सोच में बदलाव कठिन है। अतः बालिकाओं के विकास के लिए राष्ट्रीय स्तर पर नैतिक मूल्यों का विकास होना जरूरी है जिससे समाज की बालिकाओं के विकास के प्रति सोच सकारात्मक हो सके।

आज के युग में लड़का और लड़की में कोई अन्तर नहीं है। दोनों ही एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा करने में सक्षम है। इतिहास से लेकर आज तक लड़कियों ने कई क्षेत्रों में सफलता हासिल की है। लड़कियों की कर्मशीलता ही उनके सक्षम होने का सबूत है। आज लड़किया समाज की शान है इस अवधारणा को समाज के प्रत्येक व्यक्ति के मानस में बैठाना आवश्यक है और यह कार्य तभी सफल होगा जब नैतिक मूल्यों का विकास होगा तथा बालिकाओं की शिक्षा की सम्पूर्ण व्यवस्था सुनिश्चत होगी।

लैंगिक समानता के लिए सुझाव :–

शोधकर्त्रा द्वारा नैतिक मूल्य व लैंगिक समानता के विकास के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित सुझाव दिये हैं :–

अभिभावकों के लिए सुझाव :–

1. अभिभावकों को चाहिए कि वे अपने बच्चों में चाहे लड़का हो या लड़की दोनों में समान रूप से नैतिक मूल्य का विकास करें।
2. अभिभावकों को चाहिए कि सरकार द्वारा बालिका शिक्षा व बालिका के उत्थान हेतु चलाई जा रही योजनाओं चाहे वो (बालिका शिक्षा, बालिका स्वास्थ्य या बालिका विकास की विभिन्न योजना) का पूरा लाथ अपनी बालिका को दिलाने का प्रयत्न करें।
3. अभिभावकों को चाहिए कि अपने बच्चों के लिए नैतिकता के आदर्श स्थापित करने का प्रयास करें ताकि बच्चे उनका अनुसरण व्यवहार में कर सकें।
4. अभिभावकों को चाहिए कि ऐसी किसी भी सामाजिक कुरीतियों का विरोध करे जो बालिका के विकास में बाधक हो।
5. अभिभावकों को चाहिए कि सामाजिक स्तर पर ऐसी सामाजिक प्रथाओं का विकास करें जो बालिका के विकास में सहायक हो।
6. जिस प्रकार अपने बालक की सामाजिक प्रतिष्ठा के विकास में माता–पिता का योगदान होता है। अभिभावकों को चाहिए कि उसी अनुरूप बालिका की सामाजिक प्रतिष्ठा के विकास में सहयोग दे जिससे बालिका की सामाजिक प्रतिष्ठा का विकास बालकों के अनुरूप हो सके।

अध्यापकों के लिए सुझाव :–

1. अध्यापक को चाहिए कि वे सरकार द्वारा बालिका शिक्षा के विकास की योजनाओं के क्रियान्वन में अपना यथासंभव सहयोग का प्रयत्न करें।
2. अध्यापक को चाहिए कि वे छात्रों में नैतिक मूल्यों का विकास करे तथा लैंगिक समानता को बढावा देने के लिए बच्चों में जागरूकता लाने का प्रयास करें।
3. अध्यापक को चाहिए कि वे अध्ययनरत् बालिकाओं के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण से उनकी शैक्षिक समस्याओं के निवारण के लिए हमेशा प्रयत्नशील रहें।

शिक्षण संस्थानों के लिए सुझाव :–

1. विद्यालय प्रशासन को चाहिए कि विद्यालय में बालिकाओं के लिए भौतिक सुविधाओं का व्यवस्था सुनिश्चित करें।
2. विद्यालय प्रशासन को इस बात का विशेष ध्यान रखना होगा कि किसी भी बालिका की शैक्षिक समस्या का समाधान तुरन्त करें जिससे बालिका अपनी शिक्षा में कोई परेशानी महसूस न करें।

3. विद्यालय प्रशासन को चाहिए कि विद्यार्थियों में नैतिक मूल्य व लैंगिक समानता के विकास के लिए विद्यालय के अध्यापकों को प्रेरित करें।

4. प्रधानाध्यापकों द्वारा समय समय पर मासिक बैठक या संगोष्ठी आयोजित करनी चाहिए तथा बैठक या संगोष्ठी में बालिकाओं की शैक्षिक, भौतिक व स्वास्थ्य सम्बन्धी समस्याओं का समाधान करना चाहिए।

नैतिक मूल्य एवं लैंगिक समानता के विकास कि प्रक्रिया में सबसे अधिक प्रभावी अंग परिवार, समाज तथा विद्यालय है जहां से नैतिक मूल्य एवं लैंगिक समानता का विकास होता है। अतः परिवार, समाज व विद्यालय स्तर पर नैतिक मूल्य एवं लैंगिक समानता के विकास के लिए प्रभावी कार्य योजना का निर्माण आवश्यक हो जाता है।[10]

1. पारिवारिक स्तर पर :– लड़का और लड़की एक समानः इसकी शुरूआत सर्वप्रथम पारिवारिक स्तर पर प्रयास किये जायेंगे। अपने बच्चों या छोटे भाई बहनों को बताया जायेगा की लड़का या लड़की में कोई छोटा या बड़ा नहीं होता व्यक्ति अपने मूल्यों के विकास से ही महान बन सकता है। तथा लड़कियां लड़कों से कम नहीं होती। वे लड़कों की भांती हर क्षेत्र में विद्यालय स्तर पर अपनी पहचान बनाने में सक्षम हैं। तथा कुरीतियों के नाम पर लड़कियों पर होने वाले दुर्व्यवहार का विरोध किया जायेगा। परिवार में सामाजिक, आर्थिक अथवा किसी भी प्रकार के व्यवहार में लड़का–लड़की में किसी प्रकार का भेदभाव ना हो ऐसा प्रयास किया जायेगा। इसके साथ–साथ अपने बच्चों में नैतिक मूल्य विकसित करने के प्रयास किये जायेंगे। क्योंकि मूल्यों के विकास में परिवार वह पहली सीढ़ी है जिस पर चढ़कर मानवीयता के लय को पाना आसान लगता है। 6 वर्ष तक की आयु एक ऐसा पायदान है जब बच्चा दूसरों के आचरण से सबसे अधिक प्रभावित होता है, इसलिए प्राथमिक स्तर पर मूल्य इसी उम्र में निर्धारित होते हैं। हालांकि बाद में भी मूल्य विकसित होते हैं, लेकिन प्रभाव का स्तर धीरे धीरे कम हो जाता है। अतः पारिवारिक स्तर पर प्रशिक्षण, प्रोत्साहन, निंदा व दंड कुछ ऐसे उपकरण हैं, जिनसे हम अपने बच्चों में ये मूल्य विकसित करने के प्रयास करेंगे।

2. सामाजिक स्तर पर :– व्यक्ति ज्यों–ज्यों समाज के सम्पर्क में आता है त्यों त्यों मूल्यों का विकास व सामाजिक सरोकार बढ़ता जाता है। समाज के नैतिक मानदण्ड, सामाजिक गतिशीलता व परिवर्तन का व्यक्ति में गहरा असर होता है। अतः सामाजिक स्तर पर सरकार द्वारा संचालित बालिका विकास की विभिन्न योजनाओं का लाभ बालिकाओं को प्राप्त हो सके इसके के लिए समाज में जागरूकता का प्रयास किया जायेगा। साथ ही समाज में नैतिक मूल्यों के आदर्शों का निर्माण कर अनेक प्रकार की कूरीतियों को समाप्त करने के प्रयास किये जायेंगे जो नैतिक मूल्यों व लैंगिक समानता के विकास में बाधक हैं।

3. विद्यालय स्तर पर :– सरकार द्वारा संचालित बेटी बचाओं बेटी पढ़ाओं योजना को सफल बनाने हेतु विद्यालय स्तर पर विद्यालय प्रशासन द्वारा सफल बनाने के प्रयास किये जायेंगे जिसमें अध्यापकों को ये जिम्मेदारी दी जायेगी कि बालिकाओं की शिक्षा से सम्बन्धित समस्याओं के निवारण के लिए हमेशा तत्पर रहें। इसके साथ–साथ लैंगिक समानता के प्रति जागरूक एवं संवेदित करने के उद्देश्य से विद्यालय प्रशासन द्वारा अभिभावकों के साथ सामूहिक मंत्रणा के कार्यक्रम तय किये जायेंगे। इस पहल में छात्र–छात्राओं व अभिभावकों से संवाद स्थापित कर लैंगिक समानता के प्रति जागरूकता तथा नैतिक मूल्यों के विकास के उद्देश्यों को प्राप्त करने का प्रयास किया जायेगा। इसके अतिरिक्त विद्यालय में निम्न कार्यक्रम आयोजित किये जायेंगे।

4. राजनीतिस्तर पर– महिलाओं को सक्रिय राजनीति में सषक्त करने एवं जागरूकता उत्पन्न करने हेतु सुझाव निम्न हैः

1. प्रस्तुत शोध में पाया गया कि महिला सषक्तिकरण एवं राजनीतिक जागरूकता का सीधा संबंध शिक्षा से है। इसलिए शैक्षणिक ढाँचा एवं पद्धति को संख्यात्मक व गुणात्मक रूप से विकसित किया जाए। महिलाओं की शिक्षा पर ध्यान दिया जाना चाहिए, क्योंकि शिक्षा के माध्यम से व्यक्ति में राजनीतिक समझ उत्पन्न होती है, जो कि समाज के लिए लाभदायक होगी। शिक्षण संस्थाओं में राजनीतिक विषयों पर परिचर्चाओं में महिलाओं की सहभागिता को बढ़ाया जाना चाहिए ताकि महिलाओं में राजनीति से अलगाव की प्रवृत्ति को दूर किया जा सकें।
2. महिलाओं को उनके राजनीतिक अधिकारों के प्रति जागरूक करने के लिए महिला प्रशिक्षण, चर्चा सभा, महिला सम्मेलन आदि आयोजित किए जाने चाहिए।
3. महिलाओं के विभिन्न अधिकारों की प्राप्ति हेतु इनसे संबंधित न्यायिक प्रक्रिया को अधिक सरल, शीघ्रगामी एवं मितव्ययी बनाया जाए ताकि उसका लाभ महिलाओं को शीघ्र प्राप्त हो।
4. राजनीतिक दलों द्वारा महिलाओं को अधिक से अधिक संख्या में प्रत्याशी बनाया जाना चाहिए।
5. राजनीतिक शिक्षा कार्यक्रमों से महिलाओं में राजनीतिक जागरूकता उत्पन्न की जानी चाहिए।

अतः राजनीतिक क्षेत्र में महिला सहभागिता बढ़ाने, राजनीतिक सशक्तिकरण एवं उनमें राजनीतिक जागरूकता उत्पन्न करने के लिए सामाजिक व पारिवारिक व्यवस्था में महिलाओं का

ISSN NO.-2347-2944
Vol.-9, No.-II, Issues-10 YEAR- Dec -2018

राजनीतिक सामाजीकरण करना होगा। महिलाओं को राजनीतिक दृष्टि से शक्ति सम्पन्न बनाने के लिए सत्ता के औपचारिक संस्थान के ढाँचें में संरचनागत परिवर्तन तथा सामाजिक और सांस्कृतिक ढाँचें में लैंगिक समानता के उपाए अपनाए जाने चाहिए।

संदर्भ ग्रन्थ सूची

1. शान्तिवन, भगवान (2013),आधुनिकता की ओर बढते कदम, ज्ञानामृत वर्ष 49, अंक–4 अक्टूबर 2013 पृ. सं. 18.
2. पाराशर श्रीमती चित्रा (2017),परिवार तथा समाज,शिक्षा मित्र वर्ष–4, अंक 1, सितम्बर 2017, पृ.सं. 29.
3. आचार्य, श्रीराम शर्मा (2004),नैतिकता के टूटते तटबंधों के बीच कुछ सत्प्रयास, अखण्ड ज्योति, 12 वां संस्करण सितम्बर 2006, पृ.सं. 35.
4. भारतीय समाज, (2001), एन.सी.आर.टी प्रकाशन, नई दिल्ली (2001) पृ.सं. 7.
5. शाह, ए.एम.(2013), भारतीय सामाजिक व्यवस्था, साहित्य केन्द्र प्रकाशन, दिल्ली (2013) पृ.सं 6.
6. शर्मा, डा. विमलेश,(2016), "समावेशित विशिष्ट शिक्षा", शारदा पुस्तक भवन, इलाहाबाद, पृ.सं.137.
7. कपूर प्रमिला (1976), भारत में विवाह एवं कामकाजी महिलायें, राजकमल प्रकाशन दिल्ली पटना, 1976.
8. अग्रवाल ए (2017), वीमेन्स स्टडी इन एशिया एण्ड पैसिफिक : एन ओवरव्यू आफ करेण्ट स्टैट्स एण्ड नीडिड प्रयोरिटीज, ए0पी0डी0सी0 क्वालालम्पुर,पृ. सं. 113.
9. अलीबेग तारा (2016),वुमन आफ इण्डिया, नई दिल्ली : पब्लिकेशन डिवीजन, गर्वनमेन्ट आफ इण्डियाय, पृ.सं. 713.
10. के. के. शर्मा(1996), नैतिक शिक्षा –विविध आयाम", राज. हिन्दी ग्रन्थ अकादमी जयपुर।
11. डा. आर.आर (2015), नैतिकता के लिए षिक्षा, पृ.सं. 24.
12. राजवल्लभसहाय एवं मुकुन्दीलाल श्रीवास्तव, सम्वत (2009),"वृहत हिन्दी कोश ज्ञान मण्डल लिमिटेड, बनारस, पृ.सं. 713.
13. राजस्थान में शिक्षा अनुसंधान सम्प्राप्तियां एवं सम्भावनाएं (1997) शिक्षा विभाग राज. बिकानेर, पृ. सं. 188.
14. बुर्रा एन०, (2017),ए आउट आफ साइट, आउट आफ माइन्डः वर्किगं गर्ल्स इन इण्डिया, इण्टरनेशनल लेवर रिव्यू वाल्यूम 128– नं05.
15. अल्टेकर, ए0एस0 (1965),द पोजीशन आफ इन हिन्दू सिविलाइजेशन बनारस, मोतीलाल बनारसीदास पब्लिशर्स, पृ.सं. 210.
16. करियाल, सिद्धार्थन (1975), द वाद आफ डावरीः अल्टीमेटली इट इज ए क्यूश्चन आफ अपग्राडिंग आवर वैल्यू सिस्टम, योजना, बाल्यूम–19,नं021,पृ. सं. 85.

*****